दस रुपये TEN RUPEE दस रुपये TEN RUPEE दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक   /2017 जिला अनूपपुर

III/निगरानी/अनूपपुर/भू०रा०/2017/2201

70

अब्दुल मुईद पुत्र स्व0 श्री अब्दुल समद, आयु 45 साल, निवासी – कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

—— आवेदक

बनाम

1. लालमन पुत्र श्री गजाधर
2. तोमर पुत्र श्री गजाधर
3. कल्लू पुत्र श्री गजाधर,

निवासी– लहसुई तहसील, कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

—— अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी 155 द्वारा आज दि. 13.7.17 प्रस्तुत

13.7.17 रीडर राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

13/07/2017

<u>न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अपीत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

13-7-17 K.K. Dwivedi

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोतमा कर आदेश, अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में निगरानी प्रकरण क्रमांक   /दो/2016 माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख बुलाया गया है। किन्तु तहसीलदार कोतमा द्वारा सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 16.05.2017 से कर दी है, जो वैधानिक न होने से अपास्त किये योग्य है।

70

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/2201 — अब्दुल विरूद्ध लालमन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 03/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 7/1/19 सदस्य	